न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 251/2019 दायर दिनांक–23.12.2019

1. श्री हरदयाल सिंह पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. श्रीराम पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. शिशपाल पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. शिवचन्द पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. प्रियंका पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. पुलकित पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. मानिका पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. सरबती पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. रामदेव सिंह पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. चावली पुत्री चोखाराम जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. छोटी पुत्री चौखाराम जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. रामकुमार पुत्र जीसुख जाति जाट निवासी ग्राम निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रतिवादी : – सम्पतसिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

:: निर्णय :: दिनांक –17.02.2020

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कुमावास की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 430/0.0600, 432/0.08, 433/0.09, 435/1.15, 436/1.12 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर स्थित है। जो वाद की विषयवस्तु है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को पैत्रिक कृषि सम्पदा है जो पहले ग्राम निवाई की सरहद में स्थित थी निवाई की सरहद में से पुराने खसरा नम्बर 2

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

रकबा 7 बिघा 9 बिश्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 7 बिघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 97/1 रकबा 1 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 97/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 97/273 रकबा 9 बिस्वा का कुछ भाग ग्राम कुमावास की सरहद सम्मिलित कर दिया। जिससे उक्त नये खसरा नम्बर बने है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पूर्व भोजाराम पुत्र मनसाराम के कब्जे काश्त की भूमि थी। भोजाराम पुत्र मनसाराम के परिवार की वंशावली/वटवृक्ष अनुसार भोजाराम के तीन पुत्र जीसुख, चौखाराम, बीरबल हुये जो फौत हो चुके है, जिसमें से जीसुख के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 10 रामकुमार हुआ, चौखाराम के तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 शिवचन्द, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का पिता व प्रतिवादी संख्या 6 का पति रामनिवास, प्रतिवादी संख्या 7 रामेदवसिंह व दो पुत्री प्रतिवादी संख्या 8 चावली देवी व प्रतिवादी संख्या 9 छोटी देवी हुये तथा बीरबल सिंह के तीन पुत्र वादी संख्या 1 हरदयाल सिह वादी संख्या 2 श्रीराम व प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल हुये। यहां यह भी कथन किया जाना आवश्यक है कि भोजाराम के पुत्र बीरबल सिंह का स्वर्गवास भोजाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। भोजाराम का स्वर्गवास हुआ तब बीरबल सिह के तीन पुत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 थे। वादीगण पूर्वज भोजाराम पुत्र मनासाराम ग्राम निवाई की सरहद में स्थित पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 7 बीघा 9 बीस्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 7 बिघा 19 बिस्वा खसरानम्बर 97/1 रकबा 1 बीघा 15 बीश्वा, खसरा नम्बर 97/2 रकबा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 97/273 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 17 बिघा 16 बीश्वा पर अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज भोजाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी। भोजाराम की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायगत हुई। अर्थात भोजाराम की उपरोक्त कृषि भूमि में भोजाराम के मृतक पुत्र बीरबलसिंह के पुत्र वादीगण व प्रतिवादी संया 1 को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के दादा चौखाराम को प्राप्त हुआ व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के पिता जीसुख को प्राप्त हुआ। इसी अनुसार उपरोक्त आराजी को राजस्व अभिलेख दर्ज होना चाहिए था। परन्तु भोजाराम की विरासत आराजी को राजस्व अभिलेख दर्ज होना चाहिए थां। परन्तु भोजाराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 53 दर्ज किया गया जो प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम से व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के दादा चौखाराम के नाम से प्रतिवादी संख्या 10 के पिता जीसुख के नाम से गलत दर्ज किया गया। वादीगण के नाम से नामान्तरकरण नही दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के नाम से व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के दादा चौखाराम के नाम से व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 के पिता

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

जीसुख के नाम से गलत दर्ज कर दिया और आगे इसी अनुसार गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होता रहा। प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के दादा चौखाराम का जब स्वर्गवास हुआ तो उनके 1/3 हिस्से की भूमि उनके वारिसान में न्यायगत हुई तथा उन्ही के नाम से विरासत का नामान्तरण्करण दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने चौखाराम के वारिसान की बिना जांच किये ही वादीगण को भी चौखाराम के पुत्र अभिलिखित करते हुये चौखाराम के वारिसान के साथ नामान्तरकरण संख्या 330 गलत दर्ज कर दिया और आगे इसी अनुसार राजस्व अभिलेख गलत दर्ज हो गया।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 बीरबल सिंह के वारिसान है जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है, स्व0 चौखाराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 है, जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 10 स्व. जीसुख का पुत्र है जिसका वादग्रस्त आराजी मे 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का राजस्व आराजी का राजस्व अभिलेख दर्ज होना चाहिए था तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार हक अधिकार है, परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों में लापरवाही पूर्वक उपरोक्त प्रकार से राजस्व अभिलेख गलत बनाया है, जो वादीगण के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आरजीमें वादीगण वप्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को शामिल में 1/15 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए वादीगण की ओर से उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश किया है। उक्त गलत राजस्व अभिलेख की वादीगण को पूर्व में जानकारी नही थी। वादीगण ने दिनांक 12.11.2019 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तो वादीगण को राजस्व अभिलेख गलत दर्ज होने के जानकारी प्राप्त हुई । उसके पश्चात वादीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके बताये अनुसार दिइनांक 15.11.2019, 16.11.2016, 06.12.2019 को राजस्व अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तब वादीगण को उक्त गलत राजस्व अभिलेख दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई जिसके तुरन्त पश्चात ही वादीगण की ओर से उक्त वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड श्रीमानजी की सेवामें पेश किया गया है। उक्त वाद के लिए वाद कारण दिनांक 12.11.2019, 15.11.2019, 16.11.2016 व दिनांक 06.12.2019 को राजस्व अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने पर गलत राजस्व अभिलेख दर्ज होने की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। वाद की विषय वस्तु वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

तथा वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा वाद का अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के प्रावधानों के तहत चाहा गया है इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा क्षैत्राधिकार प्राप्त है। उक्त वाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है इसलिए पूर्ण कोर्ट फीस 2/– पर उक्त वाद पेश किया गया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है कि ग्राम कुमावसत की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 430/0.06, 432/0.08, 433/0.09, 435/1.15, 436/1.12 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/15– 1/15 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को शामिल में 1/15 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 11 को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के पक्ष में पड़ती है वह भी दिलवाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 लगायत 10 की ओर से वकील श्री सम्पत सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 10 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 एवं 11 बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित न्यायालय रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगणों इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र का स्वीकार किया गया है जिससे तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी में वादी श्री हरदयाल सिंह एवं वादी श्रीराम ने चीफ के शपथ पत्र पेश किये। अपने साक्ष्य में दस्तावेजात में ग्राम कुमावास की जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054, 2055 से 2058, 2059 से 2062, 2063 से 2066 एवं नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम निवाई तथा जमाबंदी ग्राम निवाई सम्वत् 2075 से 2078 पेश किये गये। प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड से प्रतीत होता है कि ग्राम कुमावास स्थित खसरा नम्बर 430/0.069, 432/0.08, 433/0.09, 435/1.15, 436/1.12 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर कि खातेदारी जिसुख चौखा पिता भोमा हिस्सा 2/3, शिशपाल पुत्र बीरबल हिस्सा 1/3 कौम जाट साकिन निवाई खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

बहस वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम निवाई के खाता संख्या नया 71 व 129 अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल के पुत्र है जबकि ग्राम कुमावास के खाता संख्या नया 321 में वादीगण को चौखाराम का पुत्र माना गया है। उभय पक्ष भी इस बात से सहमत है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बीरबल पुत्र भोजाराम के पुत्र है। अतः वादी वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कुमावास मे स्थित खसरा नम्बर 430/0.06, 432/0.08, 433/0.09, 435/1.15, 436/1.12 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/15– 1/15 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को शामिल में 1/15 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

मुकदमा सं0:– 251/2019 (हरदयाल सिह आदि बनाम शिशपाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.02.2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कुमावास मे स्थित खसरा नम्बर 430/0.06, 432/0.08, 433/0.09, 435/1.15, 436/1.12 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/15– 1/15 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को शामिल में 1/15 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद वशरह.....–.....
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17 माह 02 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: